

Progressive & Proportional Taxes

कर की दरों के आधार पर कर को आनुपातिक या प्रगतिशील कहा जाता है। आनुपातिक कर (Proportional tax) व कर है जो सभी प्रकार के व्ययों पर समान दर से लगाए जाते हैं तथा कर की दर सभी करदाताओं के लिए समान होती है।

Tax in which the rate of tax remains constant though the tax base charges are called proportional tax.

आनुपातिक कर में चली तथा गरीब के बीच कर की दर के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है चली तथा गरीब वर्ग के लोगों के लिए कर की दर समान होती है। आनुपातिक कर पर आय बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आनुपातिक कर के अन्तर्गत marginal rate of taxes में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए Tax function के आय के सापेक्ष में First derivation शून्य के बराबर ले जाता है। इसे हम नीचे के सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं -

$$\frac{d(R)}{dy} = 0 \quad \text{--- (1)}$$

यहाँ $R = \text{Tax Rate}$

$Y = \text{Income}$

इस प्रकार उपर के सूत्र के अनुसार जब कर की सीमान्त दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस कर को आनुपातिक कर कहते हैं।

प्रगतिशील कर (Progressive tax) वह कर है जिसकी

दर आय बढ़ने के साथ ही बढ़ती है।

साथ बढ़ती बढ़ती जाती है। इस प्रणाली में जिस व्यक्त की आय मिलती अधिक होती है उससे अधिक कर वसूल किया जाता है। इस प्रकार के करारण का भार धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है और गरीब वर्ग पर कम। इसके कर की दरों को नियंत्रित करने के लिए आय को निर्धारित भागों में विभाजित किया जाता है।

The taxes in which the rate of tax increases as the tax base increases are called progressive taxes.

प्रगतिशील कर प्रणाली के अन्तर्गत कर के सीमान्त दर में व्यापक परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप Tax rate function (आय सापेक्ष में) का first derivative शून्य से अधिक होता है। इसे गणितीय सूत्र से स्पष्ट कर सकते हैं -

$$\Delta \left(\frac{dR}{dy} \right) > 0 \quad \text{--- (ii)}$$

Where $dy > 0$

प्रगतिशील कर के अन्तर्गत बढ़ती हुई आय से बढ़ती हुई मात्रा में कर को प्राप्त किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि A progressive tax increasing proportional of rising income और इस प्रकार करारण के अन्तर्गत $\Delta T > \Delta Y$ की स्थिति रहती है। यहाँ $T = \text{tax}$, $Y = \text{Income}$

आनुपातिक तथा प्रगतिशील करों को गणितीय सूत्रों से स्पष्ट कर सकते हैं -




Figure - 1




Figure II

उपरोक्त चित्र 1 से स्पष्ट है कि आय के बढ़ते के साथ साथ प्रगतिशील करारोपण प्रणाली के अन्तर्गत कर का दर बढ़ता रहता है जबकि आनुपातिक करारोपण के अन्तर्गत आय परिवर्तन के बावजूद भी कर का दर स्थिर है।

चित्र 3 से स्पष्ट है कि प्रगतिशील कर कोर्टपॉल प्रणाली के अन्तर्गत चयनी कर, गल्पयंत्र कर तथा गरीब कर की जनसंख्या के लिए लाभ दिव्य कर की दर है। जबकि आयुक्तिक कर प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों को चयनी जनसंख्या के लिए कर की दर समान है।

प्रगतिशील कर को संवैधानिक आधार पर गिनतिलिखित सिद्धांतों से समर्थन मिला है।

① Sacrifice Theory
इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण के न्याय की प्राप्ति तक होगी जब प्रत्येक करदाताओं को समान लाभ करना पड़े। यह प्रगतिशील कर में ही संभव हो सकती है।

② Faculty Theory
इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि यह आय एवं संपत्ति के आधार पर तथा करदात प्रौढता संबंधी तथ्यों को जांच के बाद लगाया जाता है।

③ The Surplus Income Theory
इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि समान के विभिन्न वर्गों के surplus income को इसके द्वारा विशेषकर धन राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए लिया जाता है।

④ The Social Importance Theory
इस सिद्धांत के अनुसार प्रगतिशील कर उचित है। क्योंकि इसके द्वारा समान में न्यायपूर्ण कर के भार का वितरण होता है। प्रगतिशील कर का एक सामाजिक

महत्व है।

⑤ The Social Political Theory

यह सिद्धान्त भी प्रजातिशील कर की खगर्भण करता है। क्योंकि इसी चयन रण आध की अस्तमानता इर होती है तथा सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव अनुज्ञा पड़ता है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर हम इस सिद्धांत पर पहुँचते हैं कि आनुपातिक कर की तुलना में प्रजातिशील कर उत्तम है। किन्तु किसी भी अर्थव्यवस्था में संतोषजनक प्रणाली यह है जिसके अन्तर्गत प्रजातिशील तथा आनुपातिक दोनों ही करों का समुचित रण संतोषजनक समन्वय किया गया है, भारतवर्ष में प्रजातिशील कर जैसे आध कर तथा आनुपातिक कर जैसे विक्री कर दोनों का समावेश उत्तम कर प्रणाली है।

—x—

Dr Sandhya Rai